रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जुलाई 21—जुलाई 27, 2019, शनिवार/आषाढ़ 30—श्रावण 5, 1941
No. 22] NEW DELHI, JULY 21— JULY 27, 2019, SATURDAY/ASADHA 30—SRAVANA 5, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उसका संबंध रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद के अधीन स्थापनों में संग्रहालयाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद के अधीन स्थापनों में संग्रहालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापनों में संग्रहालयाध्यक्ष (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान**. –उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि**. –भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. – वह व्यक्ति** ,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**. – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**. –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संग्रहालयाध्यक्ष	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख' राजपत्रित) अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) /प्रोन्नति द्वारा	**संयुक्त पद्धति - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति द्वारा :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्षों की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हो : (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुरातत्व विज्ञान या इतिहास में डिग्री या रसायन विज्ञान मुख्य विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) संग्रहालय या संरक्षण प्रयोगशाला में कलाकृतियों के जीर्णोदधार और संरक्षण में न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव.

	टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनों के ऐसे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संग्रहालय और अभिलेखागार) जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विहित अर्हता और अनुभव रखते हों उनको प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति में विचार करने के लिए बाह्य व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद के लिए चयन किया जाता है तो प्रोन्नति द्वारा समझा जाएगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 15814/आरआर/क्यूरेटर/एनडीए/आईडीएस/कार्मिक/225/र. (नि.)/2019]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (स्था. एवं सी. पी.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd July, 2019

S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Defence Academy (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Curator, Group 'B' in the National Defence Academy, Khadakwasla under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Curator in the Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Curator (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.**— The number of the said post, its classification, and level in pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Curator	1* (2019) * subject to variation dependent on work load	General Central Service (Group 'B' Gazetted) Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(10)
By composite method [Deputation (Including Short Term Contract)/Promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, Level from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Composite method (Deputation [Including Short Term Contract) plus Promotion] : Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or Institute or Research Institution :- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Degree in Archaeology or History or Bachelor of Science with Chemistry as main subject from a recognised University; (ii) minimum three years practical experience of restoration and conservation of museum artefacts in museum or conservation laboratory. **Note 1 :** The Senior Technical Assistant (Museum and Archives) of the concerned establishments under Headquarters Integrated Defence Services in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and having educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled up by promotion. **Note 2:** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 15814/RRs/Curator/NDA/IDS/PERS/ 225/D.(Apptts)/2019]

S. S. S. SARMA, Director (Estt & CP)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2019

सा.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिग्नल कोर , केंद्रीय सिविल सेवा (समूह 'क' शिक्षण स्टाफ के पद) सैन्य दूरसंचार इंजीनीयरीं महाविद्यालय, महू के भर्ती नियम 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सिग्नल कोर में शिक्षण स्टाफ के समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिग्नल कोर, सिविलियन रक्षा सेवाएं, (समूह 'क' पद), आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य, सैन्य दूरसंचार इंजीनीयरीं महाविद्यालय, महू भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आचार्य	*2 (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 4, 37400-67000 रु. + शैक्षणिक ग्रेड वेतन 10,000 रु.	लागू नहीं होता